

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

अधिसूचना

संख्या-वि० प्रा० (I) स्था०-०४/२०१४ - २१५६ /पटना, दिनांक- ०८-०९-२०१५

भारत संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद द्वारा "बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली २०१४" के परिशिष्ट-१ तालिका-२ को निम्नलिखित द्वारा तुरन्त के प्रभाव से प्रतिस्थापित करते हैं -

परिशिष्ट-१

तालिका-२

बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा के सहायक प्रोफेसर पद पर सीधी नियुक्ति के लिए वेटेज स्कीम

संवर्गीय पद	कुल वेटेज-१००		
	अकादमिक रिकार्ड अनुसंधान निष्पादन (वेटेज-३०)	कार्यक्षेत्र ज्ञान तथा शिक्षण कौशल का लिखित परीक्षा द्वारा मूल्यांकन (वेटेज-५०)	साक्षात्कार निष्पादन (वेटेज-२०)
सहायक प्रोफेसर	(a) 10% of percentage Marks obtained in M.Tech./ M.Sc./ MA in relevant Branch (b) 5% of Percentage Marks obtained in B.Tech./ B.Sc (Hons)/ BA (Hons) (c) पीएच० डी० ५ अंक (d) वेटेज -१० अंक (अधिकतम) बिहार राज्य में अनुबंध के आधार पर नियोजित किये गये शिक्षकों को उनके द्वारा की गई संतोषजनक सेवा के लिए प्रतिवर्ष ०२ (दो) अंक की दर से अधिकतम १० (दस) अंक दिया जाएगा। छः माह से ज्यादा एवं एक वर्ष से कम अवधि को एक पूर्ण वर्ष माना जाएगा।	(क) मानविकी एवं विज्ञान के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) के संबंधित कोर विषय का पाठ्यक्रम (ख) इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी संकाय के लिये ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग (GATE) के पाठ्यक्रम।	

बिहार राज्यपाल के आदेश से

राजेश कुमार
अपर सचिव,

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक - वि० प्रा० (I) स्था०-०४/२०१४ - २१५६ /पटना, दिनांक- ०८-०९-२०१५

प्रतिलिपि - महालेखाकार बिहार, पटना अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना-७/प्रभारी पदाधिकारी ई-गजट वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगामी अगले अंक में प्रकाशनार्थ/महामहिम राज्यपाल के सचिव माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सभी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/सभी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान/सभी प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेकनिक, संस्थान/सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पषर्द, पटना/विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय आई० टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राजेश कुमार
अपर सचिव,

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।